न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

राकेश कुमार न्योल

पीठासीन अधिकारीः—

निर्णय दिनांक 30.05.2024

प्रकरण सख्याः—08/18

1. मुनेरा पुत्री ईब्राहीम मीठा जाति घाची उम्र वयस्क निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज

वादी

बनाम

1 श्री ईबाहीम पिता इसमईल मीठा जाति धाची उम्र वयस्क निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज
2 रूकैया पत्नी ईस्माईल घांची निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूगरपुर राज
3 रसूल पिता सदीक घांची निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज
4 जाहीदा, पिता इस्माईल घांची निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज
5 खदीजा पिता इस्माईल घांची निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज
6 श्रीमान् लेण्ड होल्डर जरीए तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोशणा स्थाई निशेधाज्ञा एवं सहखातेदार दर्ज करने अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, राज, का तकारी अधिनियम

उपस्थित :— श्री विरेन्द्रसिंह चौहान वादी की ओर से।
प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 से 5 की ओर भगवान गुर्जर एवं
प्रतिवादी संख्या 3 की ओर बालगोविन्द पाटीदार उपस्थित।

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 पिता पुत्री है। वादी का प्रतिवादी सख्या 1 के साथ पीढीनामा वाद में दर्शाया गया है। प्रतिवादी स्व. इस्माईल का इकलौता पुत्र है तथा इस्माईल की पत्नी रूकैया है जो वादी की दादी है प्रतिवादी सख्या 1 इब्राहीम की दो पत्नीया कुलसुम एवं यासमीन है जिसमें से प्रतिवादी सख्या 1 का कुलसुम से सामाजिक रीति रिवाज, रूढी परम्परा, धर्म के अनुसार तल्लाक हो गया है वादी मुनेरा प्रतिवादी सख्या 1 इब्राहीम एवं उसकी पूर्व पत्नी कुलसुम की सन्तान है। प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा पुनः विवाह यासमीन के साथ में किया। यासमीन एवं प्रतिवादी सख्या 1 इब्राहीम की तीन सन्ताने, सना पुत्री, शिफा पुत्री, जेद पुत्र है। अर्थात प्रतिवादी सख्या 1 के कुल चार सन्ताने है। वादीया की पैतृक भूमि मौजा सीमलवाडा के जामबन्दी सवत् 2071—74 के खाता सख्या 106 के खसरा संख्या 1370,

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

1373, 1463, 1466, 1856 का रकबा कमशः 0.12, 0.04, 0.16, 0.15, 1.17 बीघा कुल खसरा किता 5 का कुल रकबा 4.04 बीघा है।

जिसमें प्रतिवादी सख्या 1 एवं उसकी माँ रूकैया का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार से मौजा सीमलवाडा के जमाबन्दी सवंत 2071--2074 के खाता सख्या 739 के खसरा सख्या 1371, 1460, 1461, 1462, 1464, 1465, 1477, 1478, का रकबा कमशः 0.10, 2.11, 0.18, 0.11, 0.03, 0. 12. 0.13, 1.03 बीघा कुल खसरा किता 8 का कुल रकबा 7.01 बीघा भूमि है जिसमें प्रतिवादी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। बिन्दू सख्या 4 में वर्णित वादग्रस्त आराजी वादी की पेत्रक भूमि है जिसमें वादीया का जन्म से हक अधिकार है किन्तु प्रतिवादी सख्या 1 जो वादी का पिता है जो वादग्रस्त भूमि में उसका बेचने को तत्पर है प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा अपनी पैत्रक भूमि बेच देने से वादीया का अपनी पेत्रक भूमि के हक से वंचीत हो जावेगी इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला वादीया के पक्ष में है इस लिए प्रतिवादी सख्या 1 को बेचेन से रोका जाना आवश्यक है अन्यथा वादीया को ऐसी क्षती होगी जिसकी भरपाई किया जाना असम्भव है एवं सुविधा का सन्तुलन भी वादीया के पक्ष में है। जिससे वाद की विविधता बढने लगी जिससे म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। जिससे म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजी में से वादीया के हक हिस्से की भूमि प्रतिवादी सख्या 1 बेचे नहीं इसलिए प्रतिवादी को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है तथा वादीया का वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक अधिकार है ऐसे में प्रतिवादी सख्या 1 के हिस्से में वादिया को 1/4 हिस्से के अनुसार खातेदार घोषित किया जावे क्योकि प्रतिवादी सख्या 1 के चार सन्ताने है। अन्य प्रतिवादीगण से वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 व 4 से 5 की ओर अधिवक्ता उपस्थित हुए। वहीं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण द्वारा लगातार समय देने पर भी वाद अन्तर्गत जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य रखी गई है। पत्रावली में उभयपक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सीधा बहस की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा सीमलवाडा के जमाबन्दी सवंत् 2071–2074 के खाता सख्या 739 के खसरा सख्या 1371, 1460, 1461, 1462, 1464, 1465, 1477, 1478, का रकबा कमशः 0.10, 2.11, 0.18, 0. 11, 0.03, 0.12. 0.13, 1.03 बीघा कुल खसरा किता 8 का कुल रकबा 7. 01 बीघा भूमि है। इब्राहीम वादीया के पिता है। इब्राहीम के चार वारिस है। वादीया के हिस्से 1/4 को सुरक्षित रखते हुए। वादीया के पिता द्वारा भुमि को बेचते है तो वादीया को जमीन पर कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 रसुल के अधिवक्ता ने बहस में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

दिया कि वादीया ने किसी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकरण में यह साबित नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का कोई हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा किसी तरह की कोई आपत्ति बहस के दौरान दर्ज नहीं कराई गयी।

पत्रावली में शामिल दस्तावेज का अवलोकन करने से साबित होता है कि वादीया, इब्राहिम की जायज पुत्री है। मौजा सीमलवाडा के जमाबन्दी सवंत् 2071–2074 के खाता सख्या 739 के खसरा सख्या 1371, 1460, 1461, 1462, 1464, 1465, 1477, 1478, का रकबा कमशः 0.10, 2.11, 0.18, 0.11, 0.03, 0.12. 0.13, 1.03 बीघा कुल खसरा किता 8 का कुल रकबा 7.01 बीघा भूमि है। इब्राहीम वादीया के पिता है। इब्राहीम के चार वारिस है। वादीया के हिस्से 1/4 को सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में वादीया के 1/4 हिस्से सुरक्षित रखते हुए आराजी को बेचान किया जाने पर कोई आपति नहीं दर्शाते हुए वाद स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सीमलवाडा के जमाबन्दी सवंत् 2071–2074 के खाता सख्या 739 के खसरा सख्या 1371, 1460, 1461, 1462, 1464, 1465, 1477, 1478, का रकबा कमशः 0.10, 2.11, 0.18, 0.11, 0.03, 0.12. 0.13, 1.03 बीघा कुल खसरा किता 8 का कुल रकबा 7.01 बीघा भूमि में से वादीया के पिता इब्राहिम की भूमि में से वादीया के हिस्से 1/4 को सुरक्षित रखते हुए किसी तरह का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाए। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आदेश आज दिनांक 30.05.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner